संख्या- 367 / 2024 / 3035 / चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

विषय:- संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के भुगतान पर होने वाले व्यय हेतु 58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1804 /सं0नि0-1(5)/2020, दिनांक 03 अक्टूबर 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के भुगतान पर होने वाले व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक - 2205-कला एवं संस्कृति- 001- निदेशन एवं प्रशासन- 03- संस्कृति निदेशालय - 58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू0 34.50 लाख (रू0 चौतीस लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
5. संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात् ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।
7. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- 102- कला और संस्कृति का संवर्द्धन - 07- कबीर अकादमी की स्थापना- 31- सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) मद में हो रही बचतों से रू0 34.50 लाख को संक्रमित कर लेखाशीर्षक - 2205-कला एवं संस्कृति- 001- निदेशन एवं प्रशासन- 03- संस्कृति निदेशालय - 58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20242025-Reapp Culture Outsourcing

विषय:- 58- आउटसोर्सिंग मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001020700 (कबीर अकादमी की स्थापना)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	58,00,000 रुपये अट्ठावन लाख मात्र	44,63,000 रुपये चौवालीस लाख तिरेसठ हजार मात्र	34,50,000 रुपये चौंतीस लाख पचास हजार मात्र	34,50,000 रुपये चौंतीस लाख पचास हजार मात्र	23,50,000 रुपये तेईस लाख पचास हजार मात्र	2024-2025
कुल					₹ 34,50,000	₹ 34,50,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205000010300 (संस्कृति निदेशालय)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	34,50,000 रुपये चौंतीस लाख पचास हजार मात्र	34,50,000 रुपये चौंतीस लाख पचास हजार मात्र	64,50,000 रुपये चौंसठ लाख पचास हजार मात्र	2024-2025
कुल				₹ 34,50,000	₹ 34,50,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
1- उपलब्ध बचत का कारण:- संस्कृति निदेशालय के अन्तर्गत 07- कबीर अकादमी की स्थापना- 31- सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) मद में रू0 44.63 लाख के बचत होने की संभावना है।
2- अनुदान के सापेक्ष अधिक व्यय :- उक्त संभावित बचत से संस्कृति निदेशालय के मानक मद 58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू0 34.50 लाख की अधिक धनराशि व्यय होने के दृष्टिगत।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-107-E-7-128-X-2024-25-दिनांक: 29-10-2024

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव
संख्या एवं दिनांक तदैव।

कुंवर मकरन्द सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in